



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट  
भाग-4, खण्ड (ख)  
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 20 नवम्बर, 2020

कार्तिक 29, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन  
नगर विकास अनुभाग-1

संख्या 1699/9-1-2020-24टी0ए0-20

लखनऊ, 20 नवम्बर, 2020

अधिसूचना

प0आ0-338

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 3 की उपधारा (2) के साथ पठित भारत का संविधान के अनुच्छेद 243 थ के खण्ड (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और अधिसूचना संख्या 6832-टी/9-1-82-31-टी-81, दिनांक 19 फरवरी, 1983 और इस निमित्त जारी की गयी अन्य पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं का आंशिक उपान्तर करके, राज्यपाल नीचे अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को नगर पंचायत-परशदेपुर, जिला रायबरेली के संक्रमणशील क्षेत्रों में सम्मिलित करने के लिए जिस अधिसूचना को जारी करने के लिए प्रस्ताव करती हैं, उसका निम्नलिखित प्रारूप, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार समस्त सम्बन्धित की सूचना के लिए और उसके संबंध में आपत्तियाँ और सुझाव आमन्त्रित करने की दृष्टि से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

2. प्रस्तावित अधिसूचना के संबंध में, आपत्तियाँ और सुझाव, यदि कोई हों, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, नगर विकास अनुभाग-1, बापू भवन, लखनऊ को सम्बोधित करके लिखित रूप में प्रेषित किये जाने चाहिए। केवल उन्ही आपत्तियों और सुझावों पर विचार किया जायेगा, जो इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से 15 दिन के भीतर प्राप्त होंगे।

### अधिसूचना का प्रारूप

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 3 की उपधारा (2) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद-243 थ के खण्ड (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और अधिसूचना संख्या 6832-टी/9-1-82-31-टी-81, दिनांक 19 फरवरी, 1983 और इस निमित्त जारी अन्य पूर्ववर्ती

अधिसूचनाओं का आंशिक उपान्तर करके राज्यपाल संविधान के भाग-नौ के प्रयोजनार्थ नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को नगर पंचायत-परशदेपुर, जिला रायबरेली के संक्रमणशील क्षेत्रों में सम्मिलित करती हैं:-

अनुसूची

नगर पंचायत-परशदेपुर, जिला रायबरेली के संक्रमणशील क्षेत्र में सम्मिलित किया जाने वाला क्षेत्र

क्र०सं०	ग्रामों के नाम	नगर पंचायत में सम्मिलित किये जाने वाले क्षेत्र	दिशा	गाटो का विवरण
1.	सुनगा	सिटकहिया, बंगला, मटियरवा चौराहा, नयी बस्ती, नया पुरवा, बैरिहा	उत्तर	01 से 1786 तक, 449 / 1787, 901 / 1788, 662 / 1789, 824 / 1790
2.	संसारि	पूरे बैसन, संसारि	दक्षिण	01 से 887 तक, 888 / 669, 889 / 360, 890 / 360
3.	फागपुर	रामलीला, पूरे बाकर बेग, साकेत नगर चौराहा	पूरब	01 से 340 तक, 573 से 681 तक
4.	अहोरारामपुर	टंटापुर, रामलीला	पश्चिम	01 से 1090 तक, 67 / 1094, 376 / 1092, 802 / 1091, 336 / 1106, 901 / 1097

आज्ञा से,  
दीपक कुमार,  
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1699/IX-1-2020-24T.A.-20, dated November 20, 2020:

No. 1699/IX-1-2020-24T.A.-20

*Dated Lucknow, November 20, 2020*

The following draft notification which the Governor proposes to issue in exercise of the powers under clause (2) of Article 243Q of the Constitution of India read with sub-section (2) of section 3 of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (U.P. Act no. II of 1916) and in partial modification of notification no. 6832-T/9-1-82-31-T-81, dated February 19, 1983 and other previous notifications issued in this behalf including the areas specified in the Schedule-1 below in the transitional area of Nagar Panchayat Parasdepur in District Raebareli, is hereby published for the information of all concerned and with a view to inviting objections and suggestions in respect thereof as required under sub-section (1) of section 4 of the said Act.

2. Objections or suggestions, if any, with respect to the proposed notification should be sent in writing addressed to the Pramukh Sachiv, Uttar Pradesh Shasan, Nagar Vikas Anubhag-1, Babu Bhawan, Lucknow. Only such objections and suggestions shall be taken into consideration as are received within 15 days from the date of publication of this notification in the *Gazette*.

Draft Notification

In exercise of the powers under clause (2) of Article 243Q of the Constitution read with sub-section (2) of section 3 of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (U.P. Act no. II of 1916) and in partial modification of notification no. 6832-T/9-1-82-31-T-81, dated February 19, 1983 and other previous notifications issued in this behalf the Governor is pleased to include the areas specified in the Schedule below in the transitional area of Nagar Panchayat Parasdepur in District Raebareli for the purposes of part IX A of the Constitution.

SCHEDULE

Area being included in the transitional area of Nagar Panchayat Parasdepur in District Raebareli

Sr. No.	Name of Villages	Revenue Villages being Included in Nagar Panchayat	Direction	Detail of Gatas
1.	Sunga	Sitkahiya, Bangla, Matiyarwa Chauraha, Nayi Basti, Naya Purwa, Bairiha	North	01 to 1786, 449/1787, 901/1788, 662/1789, 824/1790
2.	Sansari	Poore Baisan, Sansaari	South	01 to 887, 888/669, 889/360, 890/360
3.	Faagupur	Ramleela, Poore Bakar Beg, Saket Nagar Chauraha	East	01 to 340, 573 to 681
4.	Ahorarampur	Tantapur, Ramleela	West	01 to 1090, 67/1094, 376/1092, 802/1091, 336/1106, 901/1097

By order,  
DEEPAK KUMAR,  
*Pramukh Sachiv.*